रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062026-273899
CG-DL-E-29062026-273899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3311] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 3311] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

का.आ. 3445(अ) — केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 53क की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त धारा की उपधारा (1) में संदर्भित कतिपय अपराधों के संबंध में आवेदन का प्रपत्र और रीति, प्रशमन के लिए देय राशि और भुगतान की रीति अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. आवेदन का प्रपत्र — (1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 53क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन, इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र- 'क' में किया जाएगा।

(2) आवेदन, आवेदक द्वारा या उस प्रयोजन के लिए विधिवत अधिकृत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

2. आवेदन करने की रीति — (1) आवेदन, प्रपत्र 'क' में प्रस्तुत किया जाएगा-

(क) व्यक्तिगत रूप से, संरक्षक के कार्यालय में; या

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट ऑनलाइन प्रणाली या पोर्टल के माध्यम से।

(2) व्यक्तिगत रूप से जमा किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ संरक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए और प्राप्तकर्ता कार्यालय प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए एक पावती जारी करेगा।

(3) इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए प्रत्येक आवेदन में उप-पैराग्राफ (2) में संदर्भित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ शामिल होनी चाहिए और सिस्टम, प्राप्ति की एक इलेक्ट्रॉनिक पावती सृजित करेगा।

(4) ऐसी पावती जारी होने पर ही एक आवेदन को विधिवत प्रस्तुत किया गया आवेदन माना जाएगा।

(5) आवेदक पावती की एक प्रति अपने पास रखेगा और यदि आवश्यक हो तो सत्यापन के लिए उसे संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

3. **आवेदन की प्रक्रिया-** (1) आवेदन प्राप्त होने पर, संरक्षक सत्यापित करेगा-

(क) कि अपराध, उक्त अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के तहत प्रशमन योग्य है;

(ख) कि आवेदन पूर्ण है; और

(ग) कि प्रशमन राशि के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

(2) जहाँ आवेदन, प्रपत्र या दस्तावेजों के संबंध में अपूर्ण पाया जाता है, आवेदक से पंद्रह दिनों के भीतर अप्राप्त विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित हो सकता है।

4. **प्रशमन राशि -** (1) किसी अपराध के प्रशमन के लिए देय राशि उक्त अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के परंतुक में यथा: उपबंधित अधिकतम सीमा के अध्यधीन, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट जुर्माने के बराबर होगी।

(2) इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात को उक्त अधिनियम धारा 53क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में यथा: उपबंधित, बाद के किसी भी अपराध के प्रशमन को अधिकृत करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

5. **भुगतान की रीति-** (1) प्रशमन राशि का भुगतान, निम्नलिखित के माध्यम से केंद्र सरकार के नामे किया जाएगा जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है-

(क) राजकोष चालान के माध्यम से निर्दिष्ट लेखा शीर्ष में; या

(ख) अधिकृत सरकारी भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विप्रेषण, जैसा कि आवेदक द्वारा चयन किया जाए।

(2) आवेदक को निम्नलिखित के द्वारा जारी की गई भुगतान की पावती प्राप्त करनी होगी-

(क) राजकोष द्वारा; या

(ख) इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा,

और उसे संरक्षक को प्रस्तुत करना होगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 53 क की उपधारा (1) के तहत प्रशमन प्राधिकारी है।

6. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।

प्रपत्र- क

[पैराग्राफ 1 (1) और 2(1) देखें]

1. **आवेदक का विवरण**

नाम :
पता:

ईमेल:

फ़ोन:

2. **अपराध का विवरण**

धारा:

कथित शुरूआत की तारीख:

नोटिस/ऑर्डर का संदर्भ (यदि कोई हो):

3. **घोषणा (प्रथम अपराध)**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जिस अपराध के लिए प्रशमन का अनुरोध किया जा रहा है, वह भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) धारा 53क की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार प्रथम अपराध है।

4. **चुकाई गई प्रशमन राशि**

भुगतान की गई राशि (भारतीय रु.):

भुगतान की रीति:

चालान/ट्रांज़ैक्शन आईडी:

भुगतान की तारीख:

संलग्न प्रमाण:

5. **संलग्न दस्तावेज़**

6. **सत्यापन**

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि दी गई जानकारी, मेरी समझ और विश्वास के अनुसार से सही और सत्य है।

हस्ताक्षर:

तारीख:

[फा. सं. पीडी-24015/9/2026- पीडी-I(भाग-I)/ई-378973]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2026

S.O. 3445(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 53A of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), the Central Government hereby notifies the form and manner of application, the sum payable for compounding and the manner of payment, in respect of certain offences referred to in sub-section (1) of the said section, namely:

1. Form of application. — (1) Every application for compounding of an offence specified under sub-section (1) of section 53A of the Indian Ports Act 2025 (hereinafter referred to as the said Act), shall be made in Form-A, annexed to this notification.

(2) The application shall be signed by the applicant or by an authorised representative duly authorised for that purpose.

2. Manner of making application. — (1) The application in Form-A shall be submitted,-

(a) physically, at the office of the conservator; or

(b) electronically, through the online system or portal specified by the Central Government for this purpose.

(2) Every application submitted physically shall be accompanied by self-attested copies of documents specified by the conservator and the receiving office shall issue an acknowledgement indicating the date of receipt.

(3) Every application submitted electronically shall include scanned copies of the documents referred to in sub-paragraph (2) and the system shall generate an electronic acknowledgement of the receipt.

(4) An application shall be considered to have been duly made only upon the issuance of such acknowledgement.

(5) The applicant shall retain a copy of the acknowledgement and produce it before the conservator if so required, for verification.

3. Processing of application. — (1) Upon receipt of the application, the conservator shall verify-

(a) that the offence is compoundable under sub-section (1) of section 53A of the said Act;

(b) that the application is complete; and

(c) that proof of payment of the compounding amount has been furnished.

(2) Where the application is found to be incomplete in respect of form or documents, the applicant may be required to furnish the missing particulars within fifteen days.

4. Compounding amount. — (1) The sum payable for compounding of any offence shall be an amount equal to the fine specified for such offence under the First Schedule of the said Act, subject to the ceiling as provided in the proviso to sub-section (1) of section 53A of the said Act.

(2) Nothing contained in this paragraph shall be construed to authorise compounding of any subsequent offence, as provided in the second proviso to sub-section (1) of section 53A of the said Act.

5. Manner of payment. — (1) The compounding amount shall be paid for credit to the Central Government, as required by sub-section (1) of section 53A of the said Act, through,-

(a) a treasury challan in the designated head of account; or

(b) an online remittance through the authorised Government payment portal, as may be chosen by the applicant.

(2) The applicant shall obtain an acknowledgement of payment issued,-

(a) by the treasury; or

(b) by the electronic system,

and shall submit the same to the conservator, who is the compounding authority under sub-section (1) of section 53A of the said Act.

6. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2026.

FORM-A

[See paragraph 1(1) and 2(1)]

1. Applicant Details

Name:
Address:

Email:

Contact Number:

2. Details of Offence

Section:

Date of alleged commission:

Reference of notice/order (if any):

3. Declaration (First Offence)

I hereby declare that the offence for which compounding is sought is a first offence, in terms of the second proviso to sub-section (1) of section 53A of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025).

4. Compounding Amount Paid

Amount Paid (INR):

Mode of Payment:

Challan/ Transaction ID:

Date of Payment:

Attached Proof:

5. Documents Enclosed:

6. Verification

I hereby verify that the information provided is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature:

Date:

[F. No. PD-24015/9/2026-PD-I(Part-I)/E-378973]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.06.29 12:07:49 +05'30'